प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 343 सन 2022
अनवान :–

1. इन्दु पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 19/14 की कुल 1.1890हैक मे से 1/2 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 20/15 की कुल 1.2650हैक भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/2 –1/2 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या 643/542 की कुल 0.2920हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि एव अन्य भूमियो का परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज के अनुसार है इसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 जो एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 19/14 की कुल 1.1890हैक मे से 1/2 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या

20/15 की कुल 1.2650हैक्ट भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/2 –1/2 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या 643/542 की कुल 0.2920हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि एव अन्य भूमियो का पारिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज के अनुसार है इसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध मे कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 19/14 की कुल 1.1890हैक्ट मे से 1/2 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 20/15 की कुल 1.2650हैक्ट भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/2 –1/2 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या 643/542 की कुल 0.2920हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवांरा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वादीया के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 19/14 की कुल 1.1890हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादीया का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है एवं खाता संख्या 20/15 की कुल 1.2650है में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया के नाम दर्ज की जाती है तथा खाता संख्या 643/542 की कुल 0.2920हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट............ [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. इन्दु पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 343 सन 2022 निर्णय दिनांक–23/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गावं के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 19/14 की कुल 1.1890हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादीया का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है एवं खाता संख्या 20/15 की कुल 1.2650है में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया के नाम दर्ज की जाती है तथा खाता संख्या 643/542 की कुल 0.2920हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट ....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर